



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-के.ए.-अ.-20022026-270371
CG-KA-E-20022026-270371

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 900]

नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 20, 2026/फाल्गुन 1, 1947

No. 900]

NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 20, 2026/PHALGUNA 1, 1947

रेल मंत्रालय
(दक्षिण पश्चिम रेलवे)

अधिसूचना
हुबली, 20 फरवरी, 2026

का.आ. 944(अ).— रेल अधिनियम, 1989 (जैसा कि 2008 में संशोधित किया गया) (1989 का 24) (जिसे इसके बाद उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 20ए की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार इस बात से संतुष्ट होने के बाद कि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए, वह भूमि, जिसका संक्षिप्त विवरण इस अनुबंध के साथ संलग्न अनुसूची में दिया गया है, विशेष रेल परियोजना के निष्पादन के लिए आवश्यक है, अर्थात्... कर्नाटक राज्य के चित्रदुर्ग जिले में स्थित भूमि अधिग्रहण बोर्ड (आरओबी) के स्थान पर एलसी संख्या 15 (किमी: 25/400-500 (हालियुरु और मनांगी ग्राम)) के किलोमीटर पर भूमि अधिग्रहण हेतु आरओबी के निर्माण के संबंध में, एतद्वारा उक्त भूमि के अधिग्रहण की अपनी मंशा की घोषणा की जाती है:

उक्त भूमि में रुचि रखने वाला कोई भी व्यक्ति, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से तीस दिनों के भीतर, उक्त अधिनियम की धारा 20डी की उपधारा (1) के अंतर्गत उक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर आपत्ति उठा सकता है:

ऐसी प्रत्येक आपत्ति सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् प्रभारी भूमि अधिग्रहण अधिकारी, सहायक आयुक्त चित्रदुर्ग और क्षेत्रीय आयुक्त, बेंगलुरु को लिखित में प्रस्तुत की जाएगी, जिसमें आपत्ति के कारण बताए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी

आपत्तिकर्ता को स्वयं या कानूनी सलाहकार के माध्यम से सुनवाई का अवसर प्रदान करेगा। सक्षम प्राधिकारी, ऐसी सभी आपत्तियों को सुनने और यदि आवश्यक समझे तो आगे की जाँच करने के बाद, आदेश द्वारा आपत्तियों को स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है।

सक्षम प्राधिकारी द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 20D की उपधारा (2) के तहत दिया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के भू-मानचित्र और अन्य विवरण सक्षम प्राधिकारी के उपर्युक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और इच्छुक व्यक्ति द्वारा उनका निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

क्रम संख्या	ग्राम का नाम	सर्वेक्षण संख्या	भाग	क्षेत्रफल (ए-जी-ए)	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
1	हलियुरु	34	-	0-10-08	0.1062
2	हलियुरु	35	1	0-12-00	0.1214
3	हलियुरु	35	2		
			योग A	0-22-08	0.2276
4	मनांगी	2	1	0-01-00	0.0101
5	मनांगी	100	2	0-03-00	0.0304
6	मनांगी	100	3	0-08-00	0.0809
7	मनांगी	100	4	0-01-00	0.0101
8	मनांगी	101	1	0-02-00	0.0202
9	मनांगी	101	2	0-04-00	0.0405
10	मनांगी	102	2	0-07-00	0.0708
11	मनांगी	102	3B	0-02-00	0.0202
12	मनांगी	103	1B	0-01-00	0.0101
			योग B	0-29-00	0.2934
			कुल योग A+B	1A-11G-08A	0.5210

[फा. सं. एसडब्ल्यूआर/डब्ल्यू.352/आरओबीएस-आरएसपी/भूमि/2025-26]

निंगप्पा चंदप्पा चलुवादि, उप मुख्य अभियंता

MINISTRY OF RAILWAYS**(South Western Railway)****NOTIFICATION**

Hubballi, the 20th February, 2026

S.O. 944(E).—In exercise of the powers conferred by sub- Section (1) of Section 20A of the Railway Act, 1989 (as amended on 2008) (24 of 1989) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government after being satisfied that for the public purpose, the land, brief description of which has been given in the Schedule annexed hereto, is required for the execution of the Special Railway Project, namely. “Construction of ROB in lieu of LC No.15 at KM:25/400-500 (Haliyuru and Manangi Village)” Chitradurga District in the State of Karnataka, hereby declares its intention to acquire such land:

Any person interested in the said land may, within Thirty days from the date of publication of this notification in the official Gazette, raise objection and use of such land for the aforesaid purpose under sub-section (1) of Section 20D of the said Act:

Every such objection shall be made to the competent authority, namely, Incharge Land Acquisition Officer Assistant Commissioner Chitradurga and Regional Commissioner, Bengaluru for “Construction of ROB in lieu of LC No.15 at Km:25/400-500 (Haliyuru and Manangi Village)” Chitradurga District in the State of Karnataka” in writing and shall set out the grounds thereof and the competent authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the competent authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections:

Any order made by the competent authority under sub-section (2) of Section 20D of the said Act shall be final:

The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid Office of the competent authority.

SCHEDULE

Sl. No.	Name of the Village	Survey Nos.	Part	Area in A-G-A	Area in Hectare
1	Haliyur	34	-	0-10-08	0.1062
2	Haliyur	35	1	0-12-00	0.1214
3	Haliyur	35	2		
TOTAL - A				0-22-08	0.2276
4	Managi	2	1	0-01-00	0.0101
5	Managi	100	2	0-03-00	0.0304
6	Managi	100	3	0-08-00	0.0809
7	Managi	100	4	0-01-00	0.0101
8	Managi	101	1	0-02-00	0.0202
9	Managi	101	2	0-04-00	0.0405
10	Managi	102	2	0-07-00	0.0708
11	Managi	102	3B	0-02-00	0.0202
12	Managi	103	1B	0-01-00	0.0101
TOTAL-B				0-29-00	0.2934
GRAND TOTAL A+B				1A-11G-08A	0.5210

[F.No. SWR/W.352/ROBs-RSP/Land/2025-26]

NINGAPPA CHANDAPPA CHALUWADI, Dy. Chief Engineer